बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 2016

संख्या– / भारत संविधान के **अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, गन्ना उद्योग विभाग के अराजपत्रित संवर्ग के** (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तो) नियमावली, 2016 (गन्ना उद्योग विभाग) को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

अध्याय–1 : प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ– यह नियमावली **"गन्ना उद्योग विभाग अराजपत्रित संवर्ग के (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2016"** (गन्ना उद्योग विभाग) कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. परिभाषाएँ ।– जबतक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–

(i) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ii) "विभाग" से अभिप्रेत है गन्ना उद्योग विभाग, बिहार;

(iii) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग,

(iv) "सम्वर्ग" से अभिप्रेत है गन्ना उद्योग विभाग के अधीन निम्नवर्गीय लिपिक सम्वर्ग, आशुटंकक सम्वर्ग, जनसेवक सम्वर्ग, बीज उत्पादन सहायक सम्वर्ग, गतिशील कर्मचारी सम्वर्ग एवं वाहन चालक सम्वर्ग।

(v) "परिशिष्ट" से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट– 1

(vi) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है ईखायुक्त, बिहार,

3. **संवर्ग का गठन – (1)** अराजपत्रित संवर्ग में निम्नांकित उप संवर्ग होगें –

(1) निम्नवर्गीय लिपिक सम्वर्गः–

(2) आशुटंकक सम्वर्गः–

(3) जनसेवक सम्वर्ग

(4) बीज उत्पादन सहायक सम्वर्ग

(5) गतिशील कर्मचारी सम्वर्ग

(6) वाहन चालक सम्वर्ग।

(2) इस सेवा में प्रत्येक सम्वर्ग में कोटिवार पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत की जाय।

4. संवर्गों के पद–सोपान– इस सेवा के प्रत्येक संवर्ग में विभिन्न कोटियॉ एवं पद सोपान परिशिष्ट –1 के अनुसार होगें।

अध्याय– 2 – भर्ती

5. भर्ती– (1) इस सेवा में नियुक्ति मूल कोटियों के पद (निम्नवर्गीय लिपिक, आशुटंकक, जनसेवक, बीज उत्पादन सहायक, गतिशील कर्मचारी एवं वाहन चालक के पद) पर होगी।

(2) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता परिशिष्ट–1 में यथाविनिर्दिष्ट होगीं।

(3) अधिकतम आयु सीमा होगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर आरक्षण कोटिवार निर्धारित की जाए। संबंधित वर्ष की पहली अगस्त उम्र के निर्धारण, कट–ऑफ डेट होगी।

6. भर्ती की प्रक्रिया– (1) विभाग वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर एवं रोस्टर क्लीयरनेंस कराकर आरक्षण कोटिंवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(2) आयोग मेधा सूची तैयार करेगा। मेधा सूची तैयार करने के पश्चात् आयोग के द्वारा विभाग के सहयोग से प्रमाण–पत्र की प्रारंभिक जाँच एवं स्वास्थ्य जाँच करायी जायगी और तत्पश्चात अधिसूचित रिक्तियों के अनुरूप, आरक्षण कोटिवार अंतिम अनुशंसा विभाग को भेजी जायगी। विभाग के स्तर से भी प्रमाण–पत्रों की जॉच के पश्चात अनुशंसित अभ्यर्थियों का पूर्ववृत्त सत्यापन करा लिया जायेगा।

(3) आयोग की अनुशंसा के उपरांत नियुक्ति के प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

अध्याय–3: परिवीक्षा / विभागीय परीक्षा / सम्पुष्टि

7. परिवीक्षा अवधि– प्रत्येक भर्ती परिवीक्षा पर दो वर्षो के लिए होगी और विशेष परिस्थितियों में इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा, यदि परिवीक्षा

अवधि संतोषजनक नहीं हो। ऐसा अवधि–विस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त कर दिया जायेगा। उसे कोई सूचना अथवा कारण दर्शाने की अपेक्षा नहीं होगी। फिर भी आदेश उसे निर्गत किया जायेगा।

8. **विभागीय परीक्षा**– राजस्व पर्षद द्वारा संचालित विभागीय परीक्षा में उतीर्ण होना आवश्यक होगा।

9. **सम्पुष्टि**– कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति तथा विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद सम्पुष्ट किया जायेगा।

10. **वरीयता** :– संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता आयोग द्वारा विनिश्चित उनकी मेधा सूची के अनुसार होगी, परन्तु इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी, परन्तु यह कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होंगे जो संबंधित भर्ती वर्षो में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये हैं, परन्तु, यह भी कि किसी भर्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे।

अध्याय– 4: प्रोन्नति

11. **प्रोन्नति**।– (1) सेवा में सम्पुष्ट कर्मचारियों को, पद की उपलब्धता के अधीन रहते हुए एवं वरीयता–सह–योग्यतानुसार परिशीष्ट– 1 के अनुसार, प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) प्रोन्नति संबंधी चारित्री/आरोप/विभागीय कार्यवाही/अपराधिक कार्यवाही आदि संबंधी सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का प्रोन्नति पर विचार करते समय अनुपालन करना आवश्यक होगा।

12. **विभागीय प्रोन्नति समिति** ।– (1) प्रोन्नति, विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार विचारणीय होगी। विभागीय प्रोन्नति का स्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर सेवा विभागों के लिए अनुदेशित विभागीय प्रोन्नति समिति के अनुरूप होगा।

13. **ए०सी०पी०** ।– ए.सी.पी. के लिए भी उन पूर्व–शर्तों का अनुपालन आवश्यक होगा जो नियमित प्रोन्नति के लिए लागू है।

अध्याय– 5 : प्रकीर्ण

14. **आरक्षण** ।– सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा समय–समय पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

15. परिशिष्ट–1–(1) में अंकित पद सोपान, सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही, प्रभावी होगें। यदि अनुमोदन पर विचार के क्रम में सरकार द्वारा परिशिष्ट–1 में अंकित पद सोपान में कोई परिवर्तन या संशोधन किया जाता है तो परिशिष्ट– 1 में तदनुसार परिवर्तित या संशोधित समझा जायेगा और ऐसा परिवर्तित/संशोधित पद सोपान इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

(2) परिशिष्ट– 1 में उल्लिखित इस सेवा के सभी संवर्गो के पदों पर इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत कर्मचारी इस सेवा में संवर्गवार स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

16. इस नियमावली में जिन विषयो का प्रावधान नहीं हो सका है उनके लिए सरकार की प्रासंगिक संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होगें।

17. **कठिनाई का निराकरण**।– यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग को ऐसी किसी कठिनाई का निराकरण, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात्, अधिसूचना आदेश द्वारा जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, कर सकेगा।

18. **निर्वचन**– यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई संशय हो तो उसे विभाग को निर्देशित किया जाएगा, जिसका इस संबंध में विधि विभाग को परामर्श के पश्चात विनिश्चित अंतिम होगा।

19. **निरसन एवं व्यावृति**– (1) इस संवर्ग के संबंध में पूर्व में निर्गत संकल्प आदेश अनुदेश, परिपत्र आदि एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त संकल्प आदेश अनुदेश परिपत्र आदि के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

प्रधान सचिव।

/पटना, दिनांक 2016

ज्ञाप संख्या– 2160

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या– 2160 /पटना, दिनांक 27-10 2016

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार/ सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल सचिवालय/मुख्य मंत्री सचिवालय/मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/बिहार कर्मचारी चयन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या- 2160 /पटना, दिनांक 27-10 2016

प्रतिलिपि– ईखायुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।

(17)

Government of Bihar

Department of Sugarcane Industry

Notification

In exercise of the powers conferred by the proviso of Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to the following Rules.

Chapter – I (Preliminary)

1. (1) Short title, extent and commencement. These Rules may be called **"Non- gazetted Cadre of Sugarcane Industry Department (Recruitment and Service conditions) Rules, 2016." (Sugarcane Industry Department)".**

(2) It will extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. **Definitions** – In these Rules, unless in the subject or otherwise requires -

(i) 'Government' means, the State Government of Bihar,

(ii) 'Department' means, the Department of Sugarcane Industry,

(iii) 'Commission' means, the Bihar Staff Selection Commission ;

(iv) 'Cadre' means Lower Division Clerk Cadre, Steno-typist Cadre, Jan-Sevak Cadre , Seed Production Assistant Cadre, Mobile employee cadre and Vehicle Driver Cadre under the Department of Sugarcane Industry;

(v) 'Appendix' means Appendix-1 attached with these Rules;

(vi) 'Appointing Authority' means The Cane Commissioner, Bihar.

3. **Constitution of Cadre –(1)** The following sub cadres in shall be in the Non-gazetted cadre:

(i) Lower Division clerk:

(ii) Steno- Typist :

(iii) Jan-sevak :

(iv) Seed production Assistant :

(v) Mobile employee:

(vi) Vehicle Driver :

(2) The category wise number of posts in each cadre shall be such may be sanctioned by the Government from time to time.

4. **Chain of Posts of The Cadres** – Different categories and Chain of posts in each cadre of this service shall be according to Appendix-1 of these Rules.

Chapter -2 (Recruitment)

5. **Recruirement** -(1) The appointment in this service shall be to the Posts of basic category (level of Lower Division clerk, Steno typist, Jan-sevak, Seed production Assistant, Mobile Employee and Vehicle Driver.

(2) The minimum educational qualification shall be as specified in appendix-1.

(3) The maximum age limit shall be the same as may be determined reservation wise by the Government from time to time . Cut off date for determination of age shall be 1st August of the concerned year.

6. **Process of recruitment** – (1) The Department after calculating the vacancies on the basis of position on 1st April and roster clearance, shall send reservation wise requisition to The Commission up to 30th April.

(2) The Commission shall prepare merit list. After preparing merit list, the Commission, with the help of the Department, shall cause the preliminary of certificates and health check up of the candidates and thereafter the final reservation category wise recommendation of successful candidates in cofirmity with the notified vacancy shall be sent to the Department. The Department shall also get the Certificates and the past antecedents of the successful candidates will be verified at the department level also of the checking of the Certificates.

(3) After recommendation of the Commission compliance of instructions of the Government, issued regarding procedure of appointment process from time to time, will be compulsory.

Chapter-3

Probation/Departmental Examination/Confirmation

7. **Probation Period**– Every appointment shall be on probation for two years and in special circumstances, it may be extended for one year by the Appointing Authority if the probation period is not satisfactory. Such extension will only be made when in the opinion of the Appointing Authority there is possibility of improvement in the probationer. If the person is not found satisfactory even during the extended period the concerned person shall be dismissed from the service. No notice or show cause will be required to be served upon him/her. Written order will however, be issued to him.

8. **Departmental Examination** – An employee must have to pass the Departmental Examination, conducted by the Board of Revenue, Government of Bihar.

9. **Confirmation** – A probationer shall be confirmed after satisfactory completion of probation period and passing of the Departmental Examination.

10. **Seniority –** Inter-se-seniority of the members of the cadre shall be according to their merit list determined by the Commission. Provided that the Inter-se-seniority determined before the commencement of these Rules, shall remain unchangeable. Provided further that persons, appointed on compassionate ground, shall be junior to the persons appointed on the basis of the Competitive Examination in the concerned recruitment year.

Provided further also that persons, appointed by promotion in a particular appointing year, shall be senior to the persons appointed on the basis of the Competitive Examination in the concerned appointing year.

Chapter -4 (Promotion)

11. **Promotion** – (i) Consideration to give Promotion to the confirmed employee may be made as per appendix-1 subject to the availability of post and seniority cum suitability.

(ii) Compliance of the directions/orders issued by the Government from time to time, regarding character roll/charge/departmental proceeding/ criminal proceeding etc. shall be compulsory at the time of considering of promotion.

12. **Departmental Promotion Committee-** (i) Promotion shall be considered on the basis of the recommendation of the Departmental Promotion Committee. The structure of the Departmental Promotion Committee shall be in conformity the Departmental Promotion Committee instructed for Service Departments issued by the Department of General Administration from time to time.

13. **Assured Career Progression**(A.C.P.) – Compliance of the Pre-conditions which will be applicable to regular promotion for A.C.P. also.

Chapter -5 (Miscellaneous)

14. **Reservation** – Compliance of the Reservation Act of the Government and the reservation roster for direct recruitment and promotion, issued by the Government from time to time, will be compulsory.

15. Appendix-(1) -- The chain of post of mentioned in appendix-1 shall be effective only after the approval of the Government. If any change or amendment is made in appendix-1 by the Government in cause of consideration on the approval, appendix-1 will be deemed to be changed or amended accordingly and such changed or amended chain of posts shall be treated as part of these Rules.

    (2) All employees already appointed/ promoted and working, before the commencement of these Rules, on the posts mentioned in appendix 1, shall be deemed to be included automatically cadre wise in this cadre.

16. The relevant service code /rules/resolution/ circular of the Government shall be applicable to such subjects for which provisions cannot be made in these Rules.

17. **Removal of Difficulty** – If any difficulty arises in implementing any provision of these Rules, the Department may remove such difficulty after consultation with the Law Department by notification order which is not inconsistent with the provision of these Rules.

18. **Interpretation** – If there is any doubt related to the interpretation of any provision of these Rules, the matter will be reffered to the Department whose decision after consultation with the Law Department, in this regard shall be final.

19. **Repeal and Saving** – (1) All the resolutions /orders/ instruction circulars etc. previously issued relating to this cadre are here by repealed.

(2) Not withstanding such repeal anything done or any action, taken under the resolutions /orders/ instruction/circulars shall be deemed to be done or

taken under these Rules as it were in force on the day when such thing was done or such action was taken.

By order of Governor

27/10/2016

Principal Secretary

Patna, Dated- 27-10-2016

Memo No. 2160

Copy to – Superintendent Government Press, Gulzarbagh, Patna for the publication in the State Gazette of Bihar and provide its 1000 printed copies to this department.

27/10/2016

Principal Secretary

Patna, Dated- 27-10-2016

Memo No. 2160

Copy to – Accountant General, Bihar, Patna /All departments of the Government/ All Heads of the departments / Governor Secretariat/ Chief Minister Secretariat/ P.S. to Minister Cane Industries Department/ Bihar State Staff Selection Commission for information and necessary action.

27/10/2016

Principal Secretary

Patna, Dated- 27-10-2016

Memo No. 2160

Copy to – Cane Commissioner, Bihar, Patna for information and necessary action.

27/10/2016

Principal Secretary

परिशिष्ट– I

गन्ना उद्योग विभाग के नियंत्रांधीन विभिन्न सवंर्गो का पद सोपान, अर्हताए, भर्ती का तरीका आदि :–

क्रमांक	कोटि	पदनाम	सीधी भर्ती या प्रोन्नति	अर्हता	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
क लिपिकीय सवर्ग:-					
1.	मूल कोटि	निम्न वर्गीय लिपिक	i. 85%- सीधी भर्ती ii. 15%- प्रोन्नति	कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण के ज्ञान के साथ इन्टरमिडिएट उतीर्ण या उसके समकक्ष। इन्टरमिडिएट उतीर्ण योग्यताधारी समूह 'ध' अनुसेवक कर्मचारियों को।	पूर्व से कार्यरत लिपिक के संबंध में ये अर्हता लागु नहीं होगी।
2.	प्रथम सोपान	उच्च वर्गीय लिपिक	प्रोन्नति		
3.	द्वितीय सोपान	प्रधान लिपिक	प्रोन्नति		
ख. आशुटंकक सम्वर्ग :-					
1.	मूल कोटि	आशुटंकक ग्रेड–III	सीधी भर्ती	i. इन्टरमिडिएट उतीर्ण। ii. आशुलिपि एवं टंकण / कम्प्यूटर का ज्ञान ।	पूर्व से कार्यरत आशुटंकक के संबंध में ये अर्हता लागू नहीं होगी।
2.	प्रथम सोपान	आशुटंकक ग्रेड–II	प्रोन्नति		
3.	द्वितीय सोपान	आशुटंकक ग्रेड–I	प्रोन्नति		
ग. जनसेवक सम्वर्ग:-					
1	मूल कोटि	जनसेवक ग्रेड–III	i. 85%- सीधी भर्ती ii 15%- प्रोन्नति	i. इन्टरमिडिएट गणित सहित । इन्टरमिडिएट परीक्षा उतीर्ण कामदार जिनकी सेवा दस वर्षो की हो गई हो।	पूर्व से कार्यरत जनसेवक के संबंध में ये अर्हता लागू नहीं होगी।

2.	प्रथम सोपान	अनुसेवक ग्रेड–II	प्रोन्नति		
3.	द्वितीय सोपान	अनुसेवक ग्रेड–I	प्रोन्नति		

घ. बीज उत्पादन सहायक सम्वर्गः–

1.	मूल कोटि	बीज उत्पादन सहायक ग्रेड–III	i. 85%- सीधी भर्ती	i. इन्टरमिडिएट परीक्षा उतीर्ण । ii.शारीरिक दृष्टि से योग्य हो और ग्रामीण क्षेत्र में काम करने की क्षमता रखता हो, उसे इस आशय का ऐसा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपस्थापित करना होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया गया हो।	पूर्व से कार्यरत बीज उत्पादन सहायक के संबंध में ये अर्हता लागू नहीं होगी।
			ii 15%- प्रोन्नति	इन्टरमिडिएट परीक्षा उतीर्ण कामदार जिनकी सेवा दस वर्षो की हो गई हो।	
2.	प्रथम सोपान	बीज उत्पादन सहायक ग्रेड–II	प्रोन्नति		
3.	द्वितीय सोपान	बीज उत्पादन सहायक ग्रेड–I	प्रोन्नति		

ड़. गतिशील कर्मचारी सम्वर्ग :–

1	मूल कोटि	गतिशील कर्मचारी ग्रेड–III	i. 85%- सीधी भर्ती	i. इन्टरमिडिएट परीक्षा उतीर्ण । ii.शारीरिक दृष्टि से योग्य हो और ग्रामीण क्षेत्र में काम करने की क्षमता रखता हो, उसे इस आशय का ऐसा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपस्थापित करना होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया गया हो।	पूर्व से कार्यरत गतिशील कर्मचारी के संबंध में ये अर्हता लागू नहीं होगी।
			ii 15%- प्रोन्नति	इन्टरमिडिएट परीक्षा उतीर्ण कामदार जिनकी सेवा दस वर्षो की हो गई हो।	

2	प्रथम सोपान	गतिशील कर्मचारी ग्रेड–II	प्रोन्नति		
3	द्वितीय सोपान	गतिशील कर्मचारी ग्रेड–I	प्रोन्नति		
च. वाहन चालक सम्वर्ग :–					
1	मूल कोटि	वाहन चालक ग्रेड–III	सीधी भर्ती	(क) i) उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रीक उत्तीर्ण होगी। (ii) वाहन चालन का उन्हें वैध लाईसेन्स प्राप्त रहना आवश्यक होगा। (iii) यातायात विनियमन को उन्हें अच्छी जानकारी रहना आवश्यक होगा। (iv) वाहन की उन्हें व्यवहार ज्ञान का रहना आवश्यक होगा। (v) उनका स्वस्थ रहना आवश्यक होगा। (ख) अर्हता के परीक्षण के लिये उम्मीदवारों का उप–नियम (2) पर आधारित वाहन चालक एवं वाहन की सामान्य जानकारी की जाँच में सम्मिलित होना पड़ेगा जिसके लिये कुल प्राप्तांक 100 होगा। जाँच परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी और उसी सूची के आधार पर आयोग संबंधित विभाग/कार्यालय को अनुशंसा कर सकेगा। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के लिये कोई अधिमानता नहीं दी जायेगी। (ग) दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत वाहन चालकों को उप–नियम (2) में निर्धारित अर्हताओं के पूरा करने पर उनके द्वारा आवेदन करने एवं जाँच में सम्मिलित होने पर राज्य सरकार द्वारा नियमितीकरण के लिये अवधारित प्रक्रियानुसार अधिमानता दी जायेगी।	पूर्व से कार्यरत वाहन चालक के संबंध में ये अर्हता लागू नहीं होगी।
2.	प्रथम सोपान	वाहन चालक ग्रेड–II	प्रोन्नति		
3.	द्वितीय सोपान	वाहन चालक ग्रेड–I	प्रोन्नति		

टिप्पणी :– उपर्युक्त सभी संवर्गो की सभी कोटियों का वेतन बैंड एवं ग्रेड–पे वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।

11.6.2016

(एस. सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव

APPENDIX-I

Post Hierarchy, Eligibility and Procedure of Recruitment etc. of Non-gazetted Cadre under control of the Department of Sugarcane Industry:

Sl. No.	Category	Designation or Post	Direct Recruitment or Promotion	Eligibility	Remark
1	2	3	4	5	6
A. Clerical Grade					
1.	Basic Category	Lower Division Clerk	i. 85%- Direct Recruitment	i. Intermediate pass with proficiency in computer operation and typing	These eligibilities shall no apply in case of already working clerks.
			ii. 15%- Promotion	ii. Intermediate pass employees of Group D Peon.	
2.	First Progression	Upper Division Clerk	Promotion		
3.	Second Progression	Head Clrek	Promotion		
B. Steno typist cadre					
1.	Basic Category	Steno- typist Grade III	Direct Recruitment	i. Intermediate pass ii. proficiency in shorthand writing, computer operation and typing	These eligibilities shall not apply in case of already working steno- typists.
2	First Progression	Steno- typist Grade II	Promotion		
.	Second Progression	Steno- typist Grade I	Promotion		

(3)

C. Village Level Worker (Jan sevak) cadre

1.	Basic Category	Jansevak Grade III	i. 85%- Direct Recruitment ii. 15%- Promotion	i. Intermediate pass with mathematics ii. Intermediate pass kamdar who has completed 10 years' Service.	These eligibilities shall no apply in cas of alread working Jansevaks.
2	First Progression	Jansevak Grade II	Promotion		
3.	Second Progression	Jansevak Grade I	Promotion		

D. Seed Production Assistant cadre

1.	Basic Category	Seed Production Assistant Grade III	i. 85%- Direct Recruitment ii. 15%- Promotion	i. (a)Intermediate pass (b) Must be physically fit and capable of working in rural areas. Candidate will have to produce health fitness certificate in this regard which may be prescribed by the government from time to time. ii. Intermediate pass Kamdar who has completed 10 years' service.	These eligibilities shall no apply in cas of already working Seed Production Assistants.
2.	First Progression	Seed Production Assistant Grade II	Promotion		
3.	Second Progression	Seed Production Assistant Grade I	Promotion		

Mobile Employee cadre

	Basic Category	Mobile Employee Grade III	i. 85%- Direct Recruitment	i. (a)Intermediate pass (b) Must be physically fit and capable of working in rural areas. Candidate will have to produce health fitness certificate in this regard which may be prescribed by the government from time to time. ii. Intermediate pass Kamdar who has completed 10 years'
	First Progression	Mobile Employee Grade II	Promotion	
	Second Progression	Mobile Employee Grade I	Promotion	

F. Vehicle Driver (four wheeler) cadre

1.	Basic Category	Vehicle Driver Grade III	Direct Recruitment	**A.** i) Minimum educational qualification will be matriculation, ii) candidate must possess a legal and valid driving license, iii) Candidate must have a good knowledge of traffic rules and regulations, iv)Candidate must have a general mechanical know how of four wheeler vehicles, v) Candidate must be in good health. **B.** For test of eligibility criteria as prescribed in para A above the candidates must participate in a test conducted by the Commission . The test will be of 100 marks. The

				commission will prepare merit list on the basis of marks obtained and send its recommendations to the departments/offices. No preference will be given for higher educational qualification. **C.** Preference will be given according to the prescribed process on application for regularization to the vehicle drivers already working on daily wages and who fulfil the eligibility criteria as in para A above and participate in the test conducted by the Commission.
2.	First Progression	Vehicle Driver Grade II	Promotion	
3	Second Progression	Vehicle Driver Grade I	Promotion	

Note :- **Pay Band and Grade Pay for all the above sub cadres of the Non-gazetted cadre shall be the same that is fixed by the Government from time to time.**

(S. Siddharth)
Principal Secretary